

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART -III, SECTION 4

File No. NRC/NCTE/NRCAPP-4777,5602,5200,4307,4837/250th Meeting/-2016-17

Dated:- 1 MAR 2017

RECOGNITION ORDER

WHEREAS in terms of section 14(1)/15(1) of the NCTE Act, 1993, the institutions had submitted applications to the Northern Regional Committee of NCTE for grant of recognition for Teacher Education Courses.

2. AND WHEREAS on scrutiny/perusal, veracity of the facts & figures as per the application submitted by these institutions, the documents attached therewith, the affidavit and the input received from the visiting team in the form of visiting team report including videography and also the reply submitted by the institution against letter of intent under clause 7(13) of the NCTE Regulations, 2014 (earlier 7(9) of the NCTE Regulations, 2009), the Northern Regional Committee in its 250th Meeting of the NRC held on 16th to 29th February, 2016 is satisfied that the institution/society fulfils the requirements under the provisions of NCTE Act, Rules and relevant Regulations including the Norms and Standards for the concerned Teacher Education Programme such as instructional facilities, infrastructural facilities, library, accommodation, financial resources, laboratory, etc. for running the programme and has selected/appointed duly qualified teaching staff as per NCTE norms.

3. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested under Section 14(3)(a)/15(3)(a) of the NCTE Act, 1993, the Northern Regional Committee hereby grants recognition to the following Institutions for conducting Teacher Education Course with an annual intake mentioned against their names from the academic session 2016-2017 under clause 7(16) of NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2014 subject to fulfilment of the conditions mentioned below :-

S. No.	File No.	Name of the Institution	Course	Duration	Approved annual intake	Name of the Affiliating Body
1.	NRCAPP-4777	Sri Vinayak PG College, Plot No.- 633,665&666, Village- Khajurahat, Post Office- Khajurahat, Tehsil/Taluka-Bikapur, Dist.- Faizabad, Uttar Pradesh-224206.	D.El.Ed.	2 years	50 (1 units)	SCERT, Nishatganj, Lucknow, Uttar Pradesh
2.	NRCAPP-5602	Kailashi Devi Keshav Prasad BTC College, Plot/Khasra no.- 133,134, Village- Digha, Post Office- Muddeva, Tehsil/Taluka- Khajani, District- Gorakhpur, Uttar Pradesh- 273001	D.El.Ed.	2 years	100 (2 units)	SCERT, Nishatganj, Lucknow, Uttar Pradesh
3.	NRCAPP-5200	Shri Baijnath Girls Institution of Education and management, Plot No. - 97, Village - Aladadpur, Post Office - Trivediganj, Tehsil - Haidergarh, Dist. - Barabanki, UP - 227131	D.El.Ed.	2 years	50 (1 units)	SCERT, Nishatganj, Lucknow, Uttar Pradesh
4.	NRCAPP-4307	Shri Chhanngur Smarak Shiksha Prasikshan Sansthan, Plot No.- 409, Street No.- 409, Village- Usaraganwa, Post Office- Badgahan, Tehsil/Taluka- Phoolpur, Dist.- Azamgarh, Uttar Pradesh - 276301.	D.El.Ed.	2 years	50 (1 units)	SCERT, Nishatganj, Lucknow, Uttar Pradesh
5.	NRCAPP-4837	Om Maa Aadi Shakti KV Institute of Education, Plot No.- 94, Village - Inamipur, Post Office - Dullahpur, Tehsil- Jakhania, Dist.- Ghazipur, State- Uttar Pradesh - 275202.	D.El.Ed.	2 years	50 (1 units)	SCERT, Nishatganj, Lucknow, Uttar Pradesh

(i) The institution shall comply with various other norms and standards prescribed in the NCTE regulations, as amended from time to time. The institution shall fulfill the revised Norms relating to infrastructure, 20/198. Kaveri Path. Near Mansarovar Stadium, Mansarovar, Jaipur -302 020 (Rajasthan)

Phone : (0141)-2390064, 2390210, Fax : 0141-2390087
E-mail : nrc@ncte-india.org, Website : www.ncte-india.org

कार्यालय, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद

आदेश सं०/सम्बद्धता/ 12848-55

/2016-17 दिनांक: 27 सितम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश सं० 1785/15-11-2016 शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ दिनांक 19.09.2016 द्वारा निजी संस्थान श्री विनायक पी० जी० कालेज 633, 665 एवं 666 खजुरहत, फैजाबाद को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से एक यूनिट (50 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

- (1) संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
- (2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन०सी०टी०ई० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।
- (3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय-सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
- (5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
- (6) संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेब-साइट पर किया जायेगा।
- (7) प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 09.06.2016 से 10.06.2016 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2016-17 से एक यूनिट (50 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन०सी०टी०ई० के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)
सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी,
उ०प्र०, इलाहाबाद।

पृ०सं० / सम्बद्धता/ 12848-55

/2016-17 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव, वेसिक शिक्षा, उ०प्र०, शासन लखनऊ।
2. विशेष सचिव, वेसिक शिक्षा, उ०प्र०, शासन, शिक्षा अनुभाग -11 लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ०प्र०, लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक, वेसिक, उ०प्र०, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, चतुर्थ तल, जीवन निधि-II, एल०आई०सी० विल्डिंग, भवानी सिंह मार्ग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर-302005 (राजस्थान)।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, फैजाबाद।
7. प्रबन्धक/सचिव श्री विनायक पी० जी० कालेज 633, 665 एवं 666 खजुरहत, फैजाबाद।
8. गार्ड फाइल।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)
सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी,
उ०प्र०, इलाहाबाद।

MANAGER
SRI VINAYAK MAHAVIDYALAYA
KHAJURAHAT-FAJABAD (U.P.)